



इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
रिट- सी सं० - 1439 वर्ष 2026

अशोक तथा 3 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : राकेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

- याची ने अन्य बातों के साथ निम्न अनुरोधों के साथ वर्तमान रिट याचिका अधिमानित किया है:-  
"(i) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के अधीन पुनरीक्षण मामला सं० 1503/2025 (कम्प्यूटर मामला सं० सी202513000001503) "अशोक तथा अन्य बनाम शौकत अली तथा अन्य" में प्रत्यर्थी सं० 2/आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04-11-2025 (उपबंध सं० 8) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अधीन मामला सं० 664/2025 (कम्प्यूटर मामला सं० डी202513740000664)" उ०प्र० राज्य बनाम अली बहादुर तथा अन्य में प्रत्यर्थी सं० 4/अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) जिला संभल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2025 (उपाबंध सं० 6) का अभिखण्डन करते हुए उत्प्रेषण के प्रकृति में रिट, आदेश का निदेश जारी किया जाय।  
(ii) याचीगण के शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप न करने तथा विवादित पूर्वोक्त भूमि पर यथापूर्व स्थिति कायम रखने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों को निदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाय।"
- विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याची के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क उठाया गया है कि दोनों पूर्वोक्त आदेश 2023(1) एडीजे पेज 154 में संप्रकाशित संबद्ध मामलों के साथ ऋषि पाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य तथा 3 अन्य के मामले में पैरा-4 में इस न्यायालय के निर्णय तथा आदेश दिनांक 02-12-2022 द्वारा अधिकथित विधि के दृष्टिगत अपास्त किये जाने योग्य है। पूर्वोक्त आदेश का पैरा-74 निम्नवत् पठित है:-  
"74. इस प्रकार, मेरी राय में, उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 67, 67क तथा 26 के अन्तर्गत कार्यवाहियों के संबंध में लागू किये जाने के प्रक्रिया के रूप में निम्न दिशानिर्देशों को अपनाया जाय। इन सभी का उद्देश्य अधिकारियों द्वारा दृष्टिकोण में प्रक्रिया, न्यायसम्मतता में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा लंबे समय से आबाद कब्जा को हटाने के लिए अन्तरस्थ एवं परोक्ष हेतु के साथ किये गये प्रत्येक शिकायत तथा निर्दोष ग्रामीण के अनावश्यक उत्पीड़न के कारित करने को व्यर्थ करने के लिए है।  
(i) आरसी फार्म 19 पर किये गये शिकायत के मामले में इसे करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्णय में किये गये संप्रक्षेपों के आलोक में समुचित सर्वेक्षण किया गया है, भूमि, जिसके अधिभोग की पहचान अनधिकृत के रूप में किया गया है सटीक मापन में है तथा भू-राजस्व सर्वेक्षण विनियमावली, 1978 के अनुसार मापक्रम पर तैयार सर्वेक्षण मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है; सर्किल दर के आधार पर क्षति का सटीक मूल्यांकन इस आधार पर किये गये गणना के विवरणों के साथ है।  
(ii) आरसी फार्म 20 को जारी करने के पहले स्वप्रेरणा कार्यवाही के मामले में, अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आरसी फार्म 19 पर समुचित रिपोर्ट को उपनियम 1 नियम 67 के मानदण्डों पर ऊपर पैरा (प) के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।  
(iii) आरसी फार्म 20 उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाहियों को संस्थित किया गया है को आरसी फार्म 19 के साथ प्रस्तुत या अन्यथा ऊपर पैरा (पप) द्वारा स्वप्रेरणा कार्यवाही के मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट तथा स्थल सर्वेक्षण के साथ होना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (iv) नोटिस का जवाब दाखिल किये जाने के पश्चात, यदि अधिकारी पाता है कि स्थल सर्वेक्षण/स्पष्टीकरण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, यह व्यथित पक्षकार के उपस्थिति में नये सिरे से स्थल रिपोर्ट तैयार किये जाने का आदेश दे सकता है।
- (v) उस दशा में, यदि आक्षेप में धारा 67-क के अधीन कानूनी संरक्षण/ लाभ का अभिवाक् शामिल होता है, अधिकारी को गांव सभा से आपत्ति आमंत्रित करना चाहिए तथा व्यथित पक्षकार से धारा 67-क के अधीन पृथक आवेदन प्रस्तावित करने की अपेक्षा किये बिना, धारा 67 के अधीन मामले के साथ इसका विनिश्चय करेगा।
- (vi) यदि रिपोर्ट को अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है, हो सकता है कि यदि आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है, अधिकारी को व्यथित पक्षकार द्वारा इसकी प्रति-परीक्षा करने के अधिकार के साथ इसके कथन द्वारा रिपोर्ट को साबित करने के लिए स्वयं के समक्ष रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति के उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए।
- (vii) अधिकारी को सुसंगत अधिनियम तथा नियमावली के अन्तर्गत उपबंधित निर्धारित समय में मामले का विनिश्चय करने का प्रयास करना चाहिए तथा नैतिक रीति से पक्षकारों को स्थगन देने से बाज आना चाहिए।
- (viii) अंतरिम अनुतोष आवेदन के साथ विहित समय में अधिमानित दाखिल 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अन्तर्गत अपील के मामले में, अंतरिम अनुतोष आवेदन जहाँ तक संभव हो का विनिश्चय अन्य पक्ष को पूर्व नोटिस से दो सप्ताह के अन्दर किया जाना चाहिए तथा जहाँ धारा 67-क के अन्तर्गत समझौता का अभिवाक् सहायक कलेक्टर-प्रथम वर्ग के समक्ष लिया गया है तथा कुल क्षति के कम से कम 25 प्रतिशत तक क्षति को संदत किया गया है तथा प्रश्नगत भूमि पर आगे किसी निर्माण को खड़ा न करने के लिए वचनबंध का शपथ पत्र दाखिल किया गया है, सिविल प्रशासन सहित अधिकारियों को अंतरिम अनुतोष आवेदन के निपटारे तक इसके विरुद्ध अपील किये गये आदेश के अनुसरण में किसी प्रपीड़क कार्यवाही को करने से बचना चाहिए। अपीलीय अधिकारी रोक आवेदन के साथ अपील के दाखिल किये जाने के पहले दिन को अंतरिम अनुतोष देने पर भी विचार कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों को अपीलार्थी द्वारा पूरा किया जाता है।
- (ix) अपीलीय अधिकारी को जहाँ तक संभव हो अपील का विनिश्चय इसके उपस्थापन के दो माह के अवधि के अन्दर करना चाहिए।
3. इस तथ्य को प्रत्यर्पण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।
  4. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
  5. अभिलेखों के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त आदेशों को ऋषिपाल सिंह (ऊपर) के मामले में पैरा-74 में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के विरुद्ध पारित किया गया था।
  6. इस मामले के दृष्टिगत, 30प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के अधीन पुनरीक्षण मामला सं0 1503/2025 (कम्प्यूटर मामला सं0 सी202513000001503) "अशोक तथा अन्य बनाम शौकत अली एवं अन्य" में प्रत्यर्थी सं0 2/आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2025 (उपाबंध सं0 8) तथा 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अधीन मामला सं0 664/2025 (कम्प्यूटर मामला सं0 डी202513740000664) "30प्र0 राज्य बनाम अलीबहादुर तथा अन्य" में प्रत्यर्थी सं0 4/अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) जिला संभल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2025 अपास्त किये जाने योग्य है तथा एतद्वारा अपास्त किया जाता है।
  7. प्रत्यर्थी सं0 4 को ऋषिपाल सिंह (ऊपर) के मामले में निर्णय तथा आदेश दिनांक 02.12.2022 के पैरा-74 में इस न्यायालय द्वारा किये गये संप्रेक्षणों के दृष्टिगत नया आदेश पारित करने का निदेश किया जाता है।
  8. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका को अनुज्ञात किया गया है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



SKTman

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"